"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88-अ] रायपुर, रविवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2007—चैत्र 11, शक 1929

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2007

क्रमांक 2127/7855/06/19/तक.—टोलटैक्स अधिनियम, (क्र.-8 सन् 1851) जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2, सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, एतद्द्वारा ऐसे पुल को, जो संलग्न परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध है, पर पथकर अधिरोपित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2233/2292/06/19/तक, दिनांक 27 मार्च, 2006 में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहित करती है.

और यह भी घोषित करती है कि इस विभाग के अधिसूचना क्र. एफ 31-19/84/19/720, दिनांक 12-06-85 की तृतीय अनुसूची एवं अधिसूचना क्र. एफ 23-2/94/जी-19, दि. 09-05-94 में विनिर्दिष्ट वाहनों को उक्त पथकर भुगतान से छूट होगी.

यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल राय, विशेष सचिव.

परिशिष्ट-क

स.क्र.	पुल का नाम एवं मार्ग का नाम	लागत (रु. लाख में)	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बेरला-कंडरका-बीरगांव मार्ग में कि. मी. 25/2-4 के खारुन नदी पर पुल (जिला रायपुर)	130.00	

रायपुर, दिनांक 22 मार्च 2007

क्रमांक 2128/7855/06/19/तक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-3-07 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल राय, विशेष सचिव.

Raipur, the 22nd March 2007

No. 2127/7855/06/19/Tech.—In exercise of the powers conferred by section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) in application to the State of Chhattisgarh, the State Government hereby levies Toll-Taxes on one bridge enlisted in Appendix "A" at the rates specified in this department Notification No. F-2233/2292/06/19/Tech, dated 27-03-2006.

And declares that the vehicles, specified in the third schedule to this department's Notification No. F-31/19/84/19/720, dated 12-6-85 and Notification No. F-23-2-94/G/19, dated 9-5-94 shall be exempted from the payment of the said tolls.

This order shall be enforced from 1st April, 2007.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL RAI, Special Secretary.

APPENDIX-A

S. No.	Name of bridge and road	Cost in lakhs	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bridge in Km. 25/2-4 of Berla-Kandarka-Birgaon Road (Distt. Raipur)	430.00	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.